संख्या-2/2024/1848/004-94-1002-099-2-2-2022

प्रेषक,

कुलदीप सिंह,
अनु सचिव।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उ0प्र0 लखनऊ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनु०-1 **लखनऊ, दिनांक : 05 जनवरी, 2024**

विषय : वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं०-91 राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण, 01-स्टाम्प न्यायिक, 001-निदेशन तथा प्रकाशन, 03-अधिष्ठान के मद संख्या 55-मकान किराया भत्ता में से धनराशि रू० 1.19 लाख (रुपये एक लाख उन्नीस हज़ार मात्र) 02-स्टाम्प न्यायिकेत्तर, 001-निदेशन तथा प्रकाशन, 03-अधिष्ठान मद संख्या 52-पुनरीक्षित वेतन मदों में पुनर्विनियोग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या-1610/स्टाम्प-01 प्रेसमैन/2023 दिनांक 30.11.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं०-91 राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण, 01-स्टाम्प न्यायिक, 001-निदेशन तथा प्रकाशन, 03-अधिष्ठान के मद संख्या 55-मकान किराया भत्ता में से धनराशि रू० 1.19 लाख (रुपये एक लाख उन्नीस हज़ार मात्र) 02-स्टाम्प न्यायिकेत्तर, 001-निदेशन तथा प्रकाशन, 03-अधिष्ठान मद संख्या 52-पुनरीक्षित वेतन मदों में पुनर्विनियोग किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं०-91 राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण, 01-स्टाम्प न्यायिक, 001-निदेशन तथा प्रकाशन, 03-अधिष्ठान के मद संख्या 55-मकान किराया भत्ता में से धनराशि रू० 1.19 लाख (रुपये एक लाख उन्नीस हज़ार मात्र) 02-स्टाम्प न्यायिकेत्तर, 001-निदेशन तथा प्रकाशन, 03-अधिष्ठान मद संख्या 52-पुनरीक्षित वेतन मदों में पुनर्विनियोग किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैं।

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा हैं उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की माँग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय की जायेगी।

(2) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) उक्त पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

(4) अतः स्वीकृत धनराशि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत नियमानुसार अपेक्षित आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त व्यय की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी, जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोग के लिये नहीं किया जायेगा। योजना पर किया जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा।

(6) अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग तथा स्टाम्प एवं रजिस्ट्रे शन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले ऑडिट आपत्ति हेतु महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालय उत्तरदायी होगा।

(8) यह आदेश वित्त विभाग के आर०ई०संख्या-बजट-1-280 दिनाँक 05.01.2024 में दी गयी सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 1,19,000/- (रुपये एक लाख उन्नीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 091 **लेखा शीर्षक** 2030020010300 अधिष्ठान **मानक मद** 52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1227/ दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

<u>संख्या-2/2024/1848/004-94-1002-099-2-2-2022, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
5- निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 व 2, उ०प्र० शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in